प्ररूत्र–11
(नियम 7(1) देखिए)

कार्यालय नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर

मामला सं. 17/2019 और वर्ष 2019

दक्ष एजुकेशनल ट्रस्ट हम्मीर नगर खेरदा, सवाई माधोपुर द्वारा अध्यक्ष श्री तेजसिंह पुत्र श्री मदन सिंह निवासी हम्मीर नगर खेरदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.... आवेदक

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर –कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

–:: आदेश ::–

क्रमांक : 569

दिनांक 12 सितम्बर, 2019

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
तहसील व जिला – सवाई माधोपुर	कुस्तला	3726 3738 3739	7000 वर्ग मीटर 15300 वर्ग मीटर 1900 वर्ग मीटर कुल 24200 वर्ग मीटर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंमत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और संलम्न दस्तावेजों /कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट, डी.टी.पी. की तकनीकी रिपोर्ट तथा स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का अवलोकन एवं परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित् उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अमिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी

भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 3726, 3738, 3739 माप 24200 वर्गमीटर की ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययमाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा इस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12 सितम्बर, 2019 को पारित किया गया।

कार्यालय नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर

सचिव
नगर विकास न्यास
सवाई माधोपुर

क्रमांक प(17)नविन्या/संस्था./भू.शा./19/570-72 दिनांकः 12 सितम्बर, 2019

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी –

1. आयुक्त, नगर परिषद, सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार , सवाई माधोपुर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामांन्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. दक्ष एजुकेशनल ट्रस्ट हम्मीर नगर खेरदा, सवाई माधोपुर द्वारा अध्यक्ष श्री तेजसिंह पुत्र श्री मदन सिंह निवासी हम्मीर नगर खेरदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर (खातेदार) को।

सचिव
नगर विकास न्यास
सवाई माधोपुर